



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि.क.अ./स्थाना-पद/19/2809 जयपुर, दिनांक :- 21/8/19

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2782 दिनांक 20.8.19 के क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम श्री कृष्ण मोहन के स्थान पर श्री कृष्ण मुरारी वर्मा पढा जावें तथा क्रम संख्या 1, 2 एवं 13 पर अंकित अन्यत्र के स्थान पर आदेशों की प्रतीक्षा में पैतृक विभाग पढा जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

21/8/19
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, उपमुख्यमंत्री महोदय, राज.जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
5. जिला कलैक्टर, संबधित।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबधित।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी / आरक्षी पत्रावली।

21/8/19
संयुक्त शासन सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त